


तारिख हुक्म	<p style="text-align: center;"><b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> <b>F.S.S.Act Case No.97/2024</b></p>	<p>नम्बर व तारिख उ म जो इस हुक्म को तामिलमें जारी हुए</p>
27.9.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 (एक) जाबीर भाई पुत्र हबीब जगराला, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागसीन टोल के पास, पालडी एम., तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 (दो) पंकज विश्नोई पुत्र लादुराम जी विश्नोई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागसीन टोल के पास, पालडी एम., तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 06.2.2024 को फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागसीन टोल के पास, पालडी एम., तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता जाबीर भाई पुत्र हबीब जगराला से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2303 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./175/Act/2024/221 दिनांक 19.2.2024 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 27.9.2024 को प्रतिवादी जाबीर भाई व पंकज विश्नोई ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण को सुना गया, जिन्होंने यह अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है व प्रतिवादी जाबीर भाई होटल में नौकरी करता है व होटल का प्रोपराईटर प्रतिवादी पंकज विश्नोई है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही, दिनांक 06.2.2024 को दौराने गश्त समय 02.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागसीन टोल के पास, पालडी एम., तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी जाबीर भाई पुत्र हबीब जगराला उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागसीन टोल प्लाजा के पास, पालडी एम के निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर आमजन के खाद्य सामग्री बनाने हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 4 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय</p> <p style="text-align: right;">...लगातार</p>	




  
**म.जि. जिला सिरौही**  
**सिरौही-307001.**



तारिख हुक्म	<p style="text-align: center;"><b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> <b>F.S.S.Act Case No.97/2024</b></p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए</p>
	<p>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता जाबीर भाई को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट में खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर रखे हुए पनीर में से एक किलोग्राम पनीर को एक साफ, खाली, सूखे भिगोनें में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता जाबीर भाई को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-2303, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता जाबीर भाई एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, खाली, सूखी शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा पनीर को इन चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों में फार्मलीन की 20-20 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाइट बंद करके प्रत्येक शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2303 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपड़ी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जाबीर भाई, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 07.2.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 06.2.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	

भा.जि.सा.द.वि.स.पु.  
सिरौही-207001.

तारिख हुक्म	<p style="text-align: center;"><b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> <b>F.S.S.Act Case No.97/2024</b></p>	<p>नमूना व तारिख अमानक जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए</p>
	<p>द्वारा फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागीसन टोल प्लाजा के पास, पालडी एम., तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता जाबीर भाई पुत्र हबीब जगराला से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2303 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./175/Act/2024/221 दिनांक 19.2.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2303 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागसीन टोल प्लाजा के पास, पालडी एम., तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही का प्रोपराईटर पंकज विश्नोई पुत्र लादुराम जी विश्नोई (प्रतिवादी संख्या-2) है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी पंकज विश्नोई की प्रोपराईटरी फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागसीन टोल प्लाजा के पास, पालडी एम में प्रतिवादी विक्रेता जाबीर भाई पुत्र हबीब जगराला द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी पंकज विश्नोई पुत्र लादुराम जी विश्नोई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म विनायक होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बागसीन टोल प्लाजा के पास, पालडी एम., तहसील-शिवगंज, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 25.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(डॉ. दिनेश राय सापेला)</b>  <b>जज, जिला मजिस्ट्रेट</b>  <b>सिरौही-307001.</b> </p>	

